



REET 2025

LEVEL-2



वंदन बैच POLITY

मूल अधिकार

Part -4



LIVE

07-01-2024 07:00 PM

स्वतंत्रता का मूल अधिकार - अनु → 19-22

अनु. → 19 → नागरिकों को निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ

1(a) → वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(b) → शस्त्र रहित व शान्तिपूर्ण आन्दोलन / सम्मेलन करने का अधिकार

(c) → संघ, समिति एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार

(d) → अवधार रूप से भारत में घूमने का अधिकार

(e) → भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार

(f) → 44CA-1978 के तहत हटा दिया गया

(g) → भारत में व्यापार करने का अधिकार

अनु. 19(1)(9) ⇒ प्रेस की स्वतंत्रता

- चुप रहने का अधिकार
- घरों में राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार
- धरना / सम्मेलन / आन्दोलन / जुलूस / रैली माफ़ि करने का अधिकार

अनु. 20 → अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

(1) अल्पमूर्खी दण्डित विधियो में संरक्षण।

(2) दोहरे दण्ड से संरक्षण।

(3) स्वयं के जिलाज्ज गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनु. 21 - जान एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

↳ जीवन जीने का अधिकार

* मेनका गांधी वाद - 1978 ⇒ गर्भारोध के साथ [परिवार के साथ]

जीवन जीने का अधिकार

* K. पुट्टलराम्मी वाद - 2017 - निजता का अधिकार [Right to privacy]

✓ * विदेश में घूमने का अधिकार

✓ * अपने मन पसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार

* नींद लेने का अधिकार

अनु. 21A → 6-14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

→ 86 वां संविधान संशोधन 2002 के तहत

* 2009 → शिक्षा का अधिकार अधिनियम

↳ लागू - LAR 2010

अनु. 22 → कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण

- (1) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
- (2) अपनी पक्षों के वकिल से बात करने का अधिकार
- (3) गिरफ्तारी के बाद छूटरी व यात्रा के लक्ष्य को कारगर 24 घण्टे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के लक्ष्य पेश करना

श्रीधर के विरुद्ध मूल अधिकार - अनु. 23-24

अनु. 23 ⇒ मानव दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम पर रोक

- ① मानव दुर्व्यापार ⇒ मनुष्य का कृय-विकृय नहीं किया जा सकता
- ② बेगार → बिना मजदूरी के काम नहीं करवाया जा सकता
↳ [द्वारा उपा प्रतिबंध]
- ③ बलात् श्रम → रहता के विरुद्ध कार्य करवाना

અનુ. ૨૫ → બાલશ્રમ પર રોક

→ 14 વર્ષ સે ઓછા ઉંમરના બાળકોને અતરનાક વ જોખિય વાલે
સ્થાનો પર કાર્ય નહીં કરવાપા જાણેા।